



POLICE COMMISSIONERATE



GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 26.07.2025

1. थाना दनकौर पुलिस द्वारा गांजा तस्कर गिरोह के 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से सिगरेट की 7950 डिब्बी (कीमत करीब 20 लाख रुपये), 03 किलो 10 ग्राम गांजा, 20120 रुपये नगद व घटना में प्रयुक्त 02 कार बरामद।

कार्यवाही का विवरण- दिनांक 26.07.2025 को थाना दनकौर पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए गांजा तस्कर गिरोह के 03 अभियुक्त 1. यासीन पुत्र अफलातुन 2. शाहरुख पुत्र अनवर 3. इमरान पुत्र तराबू को सलारपुर अण्डरपास के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से सिगरेट की 7950 डिब्बी (मेड इन कोरिया) जिसकी कीमत करीब 20 लाख रुपये, 03 किलो 10 ग्राम गांजा, 20120 रुपये नगद व घटना में प्रयुक्त 02 कार क्रमशः XUV 500 व SWIFT बरामद की गई है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. यासीन पुत्र अफलातुन निवासी किदवई नगर, बड़ौत, बागपत उम्र 50 वर्ष।
2. शाहरुख पुत्र अनवर निवासी विजय पार्क, भोजपुर, थाना भजनपुरा, दिल्ली उम्र 31 वर्ष।
3. इमरान पुत्र तराबू निवासी इन्द्रापुरी लक्ष्मी गार्डन थाना लोनी बार्डर गाजियाबाद उम्र 35 वर्ष।

पूछताछ का विवरण--

पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि अभियुक्तों द्वारा असम राज्य से सिगरेट व गांजा खरीदकर नोएडा एनसीआर क्षेत्र में बेचकर धन अर्जित किया करते थे।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

मु0अ0सं0- 193/25 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट व 7/20 सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद एक्ट, थाना दनकौर, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण-

1. 7950 डिब्बी (मेड इन कोरिया)
2. 03 किलो 10 ग्राम गांजा
3. 20120 रुपये नगद
4. घटना में प्रयुक्त 02 कार क्रमशः XUV 500 व SWIFT

2. थाना सेक्टर-63 पुलिस द्वारा धोखाधड़ी के अभियोग में वांछित, 50 हजार रुपये का इनामिया अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण- दिनांक **26.07.2025** को **थाना सेक्टर-63** पुलिस द्वारा मैनुअल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना की सहायता से कार्रवाई करते हुए धोखाधड़ी के अभियोग में वांछित, 50000 रुपये का इनामिया अभियुक्त अतह मोहम्मद पुत्र अख्तर को थाना दनकौर क्षेत्रांतर्गत ग्राम बबलूखेड़ा से **गिरफ्तार** किया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- अभियुक्त अतह मोहम्मद द्वारा अपने सह अभियुक्तों के साथ आपराधिक षडयंत्र रचकर वादी व उसके साथियों के साथ धोखाधड़ी करते हुए जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास जमीन दिखाकर उनके कूटरचित दस्तावेज तैयार कर जमीन विक्रय कर दी गई व वादी पक्ष से 24 करोड़ रुपये की धनराशि हड़प ली गई। वादी पक्ष द्वारा जमीन न मिलने पर अपनी धनराशि वापस मांग गयी तो अभियुक्तों द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई, जिसके संबंध में थाना सेक्टर-63 पर अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें अभियुक्त वांछित चल रहा था। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

अतह मोहम्मद पुत्र अख्तर निवासी मेंहदीपुर, थाना रबूपुरा, गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 35 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

मु0अ0सं0- 569/2023 धारा 406/420/467/468/471/506/120बी/34 भादवि, थाना सेक्टर-63, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

नोट:- उक्त अभियोग में 16 अभियुक्त नामजद किये गये थे तथा विवेचना से 07 अन्य अभियुक्तों के नाम प्रकाश में आये थे। उक्त अभियोग में सभी अभियुक्तों (कुल-22) की गिरफ्तारी की जा चुकी है। उक्त अभियोग में नामित व्यक्ति विनीत कुमार गुप्ता की अभियोग पंजीकृत होने से पूर्व ही मृत्यु हो गयी थी।

3. थाना इकोटेक-तृतीय पुलिस द्वारा, बन्द फैक्ट्री से सामान चोरी कर ई-रिक्शा पर लादकर ले जाने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 02 ई-रिक्शा, 22 पाइप टीन के, 06 लोहे की चादर व 02 अवैध चाकू बरामद ।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **26.07.2025** को **थाना इकोटेक-तृतीय** पुलिस द्वारा गोपनीय सूचना की सहायता से बन्द फैक्ट्री से सामान चोरी कर ई-रिक्शा पर लादकर ले जाने वाले 03 अभियुक्त 1-नंदकिशोर पुत्र मंगली 2-विनोद सैनी पुत्र हीरालाल 3-ऋषिपाल पुत्र ओमपाल को एस्टर पब्लिक स्कूल के पास से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 02 ई-रिक्शा, 22 पाइप टीन के, 06 लोहे की चादर व अभियुक्त नंदकिशोर और ऋषिपाल के कब्जे से एक-एक अवैध चाकू बरामद किया गया है। अभियुक्तगण शांतिर किस्म के अपराधी है, जो बन्द फैक्ट्री से सामान चोरी कर ई-रिक्शा पर लादकर ले जाते है। अभियुक्तों द्वारा कारित की गई अन्य घटनाओं के संबंध में भी जानकारी की जा रही है ।

अभियुक्तों का विवरण--

1. नंदकिशोर पुत्र मंगली निवासी माधुपुरा गौशाला फाटक, थाना विजय नगर, गाजियाबाद ।
2. विनोद सैनी पुत्र हीरालाल निवासी कैलाश नगर, गौशाला फाटक, थाना विजय नगर, गाजियाबाद ।
3. ऋषिपाल पुत्र ओमपाल निवासी ग्राम लहरा नगला श्याम, थाना जुनावई, जिला संभल वर्तमान पता माधुपुरा गौशाला फाटक, थाना विजय नगर, गाजियाबाद ।

बरामदगी का विवरण--

1. घटना में प्रयुक्त 02 ई-रिक्शा (UP14PT9345, UP14ET5035)
2. 22 पाइप टीन के
3. 06 लोहे की चादर
4. अभियुक्त नंदकिशोर और ऋषिपाल के कब्जे से एक-एक अवैध चाकू

अभियोग का विवरण--

मु0अ0सं0 297/2025 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना इकोटेक-तृतीय, गौतमबुद्धनगर ।

4. थाना फेस-2 पुलिस द्वारा मोटरसाइकिल चोरी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल व अवैध शस्त्र बरामद ।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 26.07.2025 को थाना फेस-2 पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल चोरी करने वाले 02 अभियुक्त 1. पिन्टू पुत्र चन्द्रपाल 2. कौशल पुत्र भोगेन्द्र को सेक्टर-83 मेट्रो स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेंडर रजि0नं0- UP16BK9238 व 01-01 अवैध चाकू बरामद किया गया है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. पिन्टू पुत्र चन्द्रपाल निवासी ग्राम गंगावास, थाना जहाँगीराबाद, बुलन्दशहर वर्तमान पता ग्राम बरौला, थाना सेक्टर-49, गौतमबुद्धनगर, उम्र करीब 21 वर्ष ।
2. कौशल पुत्र भोगेन्द्र निवासी ग्राम खेरवा, थाना बेला, सीतामढ़ी (बिहार) वर्तमान पता सलारपुर, थाना सेक्टर-39, गौतमबुद्धनगर, उम्र-19 वर्ष ।

पंजीकृत अभियोग व आपराधिक इतिहास का विवरण--

● अभियुक्त पिन्टू--

1. मु0अ0सं0- 080/2025 धारा 379/411 भादवि, थाना सेक्टर-39, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0- 083/2024 धारा 411/414 भादवि, थाना सेक्टर-39, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
3. मु0अ0सं0- 062/2024 धारा 379/411 भादवि, थाना सेक्टर-49, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
4. मु0अ0सं0- 045/2024 धारा 379/411 भादवि, थाना सेक्टर-113, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
5. मु0अ0सं0- 347/2025 धारा 317(2) बीएनएस व धारा 4/25 आर्म्स एक्ट, थाना फेस-2, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

● अभियुक्त कौशल--

1. मु0अ0सं0- 080/2025 धारा 379/411 भादवि, थाना सेक्टर-39, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0- 062/2024 धारा 379/411 भादवि, थाना सेक्टर-49, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
3. मु0अ0सं0- 347/2025 धारा 317(2) बीएनएस व धारा 4/25 आर्म्स एक्ट, थाना फेस-2, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1. चोरी की 01 मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेंडर रजि0नं0- UP16BK9238
2. 02 अवैध चाकू